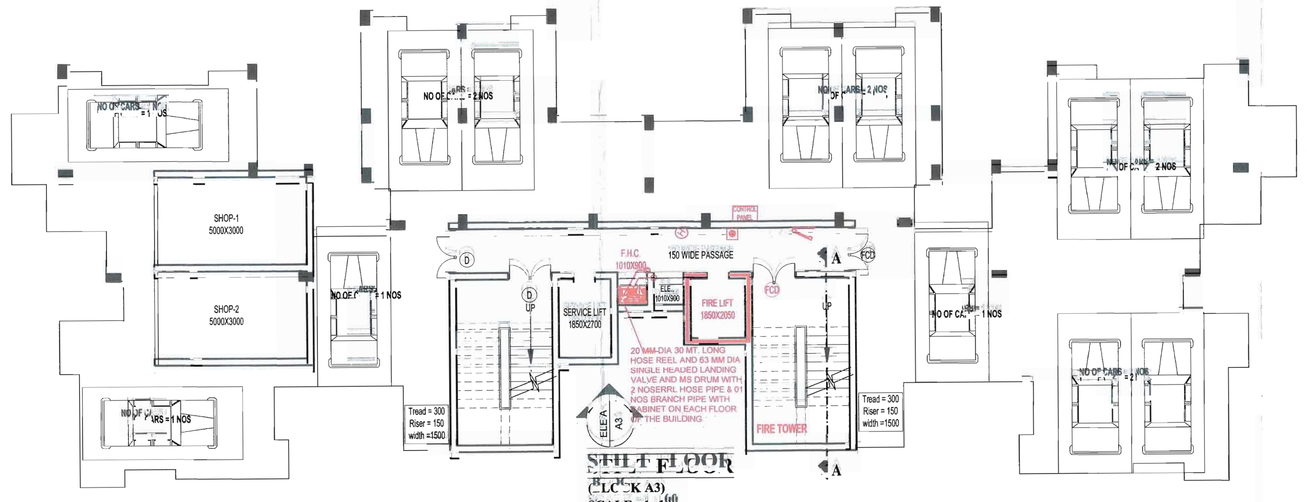

SHIFT FLOOR
(BLOCK A3)
SCALE =1 :100

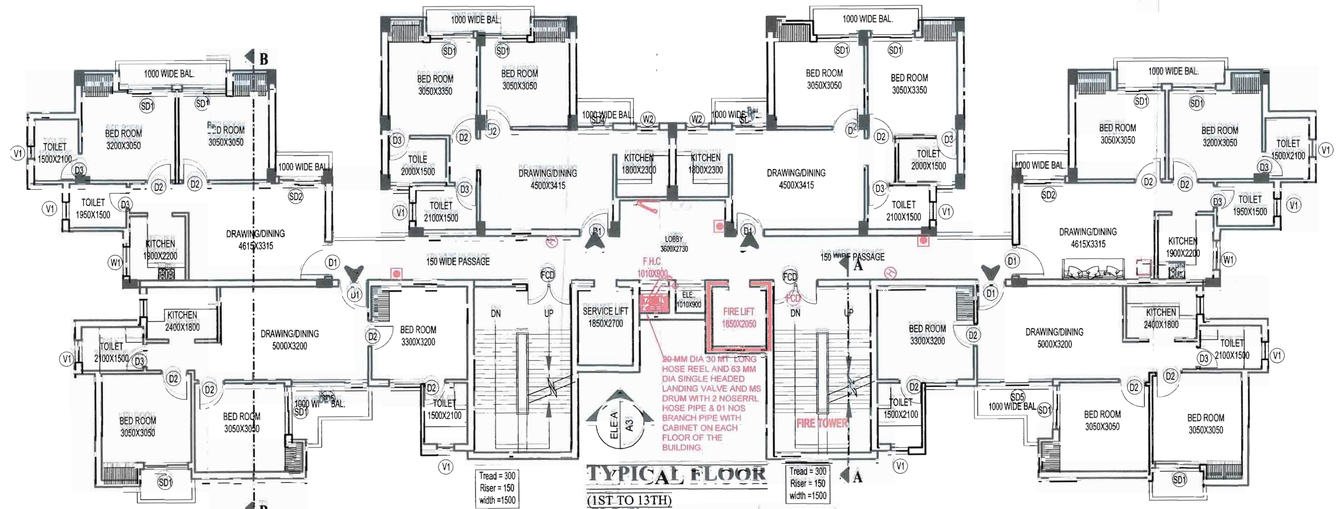

TYPICAL FLOOR
(1ST TO 13TH)
(BLOCK A3)

LEGEND

SYMBOL	PIPE DESCRIPTION
P1	DIESEL DRIVEN PUMP 2850 LMP
P2	ELECTRICAL DRIVEN PUMP 2850 LMP
P3	JOCKEY PUMP 180 LMP
A	150# HYDRANT PIPE
C	150# HYDRANT PIPE

Emergency exit with symbol provided on each floor of the building as per IS 2190:2005 norms. All corridors and rooms of the building shall be installed emergency light with one hour battery backup with separate circuit.

	FIRE HOSE CABINET
	HOOTERS
	MANUAL CALL POINT (MCP)
	PUBLIC ADDRESS SYSTEM WITH ALARM PANAL
	CO_2 TYPE FIRE EXTINGUISHER / ABC TYPE FIRE EXTINGUISHER — AS PER IS 2190-2010 ON EACH FLOOR OF THE BUILDING
CONTROL PANEL	FIRE CONTROL PANEL
	FIRE SERVICE INLET
	YARD HYDRANT

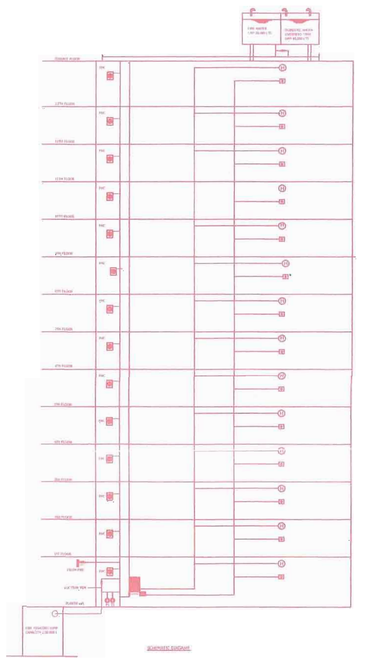

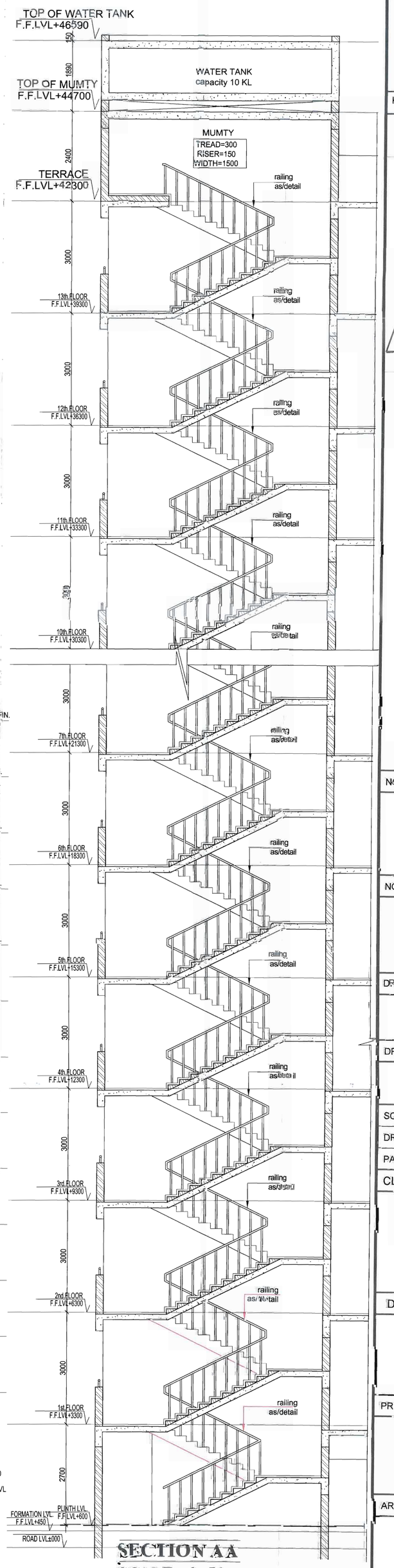

SECTION AA
SCALE =1 :50

SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS

S.NO.	TYPE	WIDTH	HIGHT	SILL	LINTEL
01	D1	1200	2100	-	2100
02	D2	900	2100	-	2100
03	D3	750	2100	-	2100
04	D4	1000	2100	-	2100
05	FCD	1200	2100	-	2100
06	SD1	1500	2350	-	2350
07	SD2	1350	2350	-	2350
08	SD3	1200	2350	-	2350
09	SD4	1220	2350	-	2350
10	SD5	2500	2350	-	2350
11	W1	1600	2350	1050	2350
12	W2	850	2350	1050	2350
13	W3	1700	2350	900	2350
14	W4	750	2350	900	2350
14	V1	600	2350	1500	2350

अग्निशमन (फायरफाइटिंग) आवास योजना

1. विकासकर्ता द्वारा दिये गये नक्शा मय ले आउट में पार्किंग एवं सड़कों विकास की जगाएंदिए एवं अन्य जगाएंदिए अग्नि निवारिण उपकरण के अनुसार अग्नि सेफ्टी के सभी मानकों तथा नियम तथा ब्यौरा उपलब्ध कराया है। मानचित्र में संलग्न किया गया अग्नि सुरक्षा उपकरण के अनुसार अग्नि सेफ्टी उपकरण लगाया जाना है।
2. भवन नियम, 1979,2004 के अनुसार आवास भवन नियम के अध्यधीन मानचित्र देकर लेख के मुताबिक एवं लेख विकासकर्ता की जगाएंदिए के मानक के मुताबिक अग्नि सेफ्टी नियम का नियम लिया जाएगा।
3. मानचित्र मानुष आवास भवन मानचित्र मु.-मानचित्र सम्बन्धी अभिलेख का ब्रा- नहीं मान जाएगा। मु.-मानचित्र सम्बन्धी कोई कार्य नक्शा नियम होने अथवा उल्लंघन होने की दशा में ही नहीं अपितु अन्य नियम भंग करेंगे।
4. भवन का निर्माण के समय मानचित्र सम्बन्धी अग्नि विभाग अधिक कार्य हुई नियमित प्रकार पर एक कार्य कराया होगा।
5. भवन निर्माण में अग्नाकारिताएवं नियम एवं उक्त नियम विनियम होगी आवासीय में प्रतिबन्धों का पालन सुनिश्चित करना होगा। जिस दिन सुरक्षा की नियमानुसार उक्त कार्य होगा।
6. विकास मय हेतु आवेदन पूर्व पर जिसमें भी खाता का निर्माण/अधिकतम अनुमाय नहीं है।
7. मुख्यतः विकास व अग्निविभाग के प्रमाण में भवन पूर्णरूपेण विकासकर्ता की होगी।
8. मानचित्रों में अनुसार भवन मय विकास प्रमाणित का प्रतिबन्ध भवन होगा।
9. मानचित्रों में अनुसार भवन मय मानचित्र भवन होगा। मानचित्र भवन का प्रतिबन्ध भवन होगा।
10. निर्माण पूर्ण करने के उपरान्त प्रमाणित के पूर्वक प्रमाण मय प्रमाण कार्यवाही है।
11. पशुह आवास मानचित्र भवन मय मानचित्रानुसार कुल एक होगा मानचित्र का प्रतिबन्ध भवन होगा।
12. मानचित्र का उपयोग केवल मानुष आवास प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा।
13. मानचित्र में अनुसार विकास प्रमाणित का अन्य किसी भी विभाग की कोई कार्यवाही निकासी है, तो वह प्रमाण देय होगा।
14. आवासीय एवं व्यवसायिक भवन मय आवासीयों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
15. प्रतिबन्ध विकास की आवासीय या प्रतिबन्ध निर्माण का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
16. प्रतिबन्ध द्वारा आवासीय भवन मय आवासीयों प्रमाणित विकासी के प्रमाणों भवन पर होने होगी एवं आवासीय विकासी
17. भवन प्रतिबन्ध के अध्यधीन आवासीयों के लिये भवन प्रतिबन्ध में प्रतिबन्ध प्रतिबन्ध सुनिश्चित करना होगा।
18. आवासीयों आवास योजना के अन्तर्गत आवासीयों भवन नि०-2/अ०/-/-/-